फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता (नि.सा.उ.सं) नीति

1-/kkj.kk

1-1 lf{kIr 'kh"kd ,o i;kT;rk

1.1.1. यह नीति, जो एक निगमित नागरिक के रूप में कंपनी की धारणाओं को चित्रित करती है, तथा वृहत समाज के कल्याण एवं संवहनीय उत्थान के लिए सामाजिक तौर पर आवश्यक कार्यक्रमों के प्रतिपादन हेतु दिशा–निर्देशों को समाविश्ट करती है, ''एफएसएनएल की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता नीति'' कहलाती है।

1.1.2. यह नीति, विभिन्न स्थानों में स्थित एफएसएनएल की विभिन्न इकाईयों में किए जा रहे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी समस्त क्रिया–कलापों पर लागू होगी, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक उत्थान संबंधी सुविधाएं जैसे, सभी जनों को स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय(खासकर महिलाओं के लिए) की सुविधा, आरोग्य एवं स्वच्छता, शिक्षा आदि, समाज के विभिन्न अंगों, विशेषकर वंचित, अल्प सुविधा प्राप्त, उपेक्षित तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से नीचे स्तर जैसे कमजोर वर्गों को उपलब्ध कराने के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

1-2- fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ,o loguh;rk gr ,d ubl uhfr dh vko';drk

नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 व कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूचि–7 जो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योजना क्रियाकलापों से संबंधित हैं, दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी हैं।

अतएव, कंपनी की प्रचलित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में व्यापक संशोधन की आवश्यकता पडी, एवं तदनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता की यह नई नीति बनाई गई।

1-3-fu-lk-m- ifjdYiuk vfHk0;fDr ,o m)s';

1.3.1. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक तौर पर जिम्मेदार निगम के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने हेतु कंपनी की परिकल्पना के अनुरूप, एफएसएनएल द्वारा अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से अपनी सेवा, आचरण एवं पहल आदि के बल पर, समाज एवं समुदाय जहां वह कार्यरत है, की निरंतर मूल्य अभिवृद्धि की जाएगी, ताकि समाज एवं समुदाय का अविरल विकास प्रोत्साहित हो सके।

1.3.2 एफएसएनएल नि.सा.उ.नीति के उद्धेश्यः–

- अपने कार्य क्षेत्र के आस–पास ऐसी गतिविधियों का प्रत्यक्ष अथव परोक्ष रूप से निर्वहन जिनसे जन समुदाय लाभान्वित हो, एवं कालांतर में स्थानीय जनों की जीविका एवं वित्तीय अवस्थाओं में बढोत्तरी हो सके।

- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के माध्यम से एफएसएनएल के लिए एक सामुदायिक प्रतिष्ठा कायम हो सके तथा एफएसएनएल की छवि एक सकारात्मक एवं सामूहिक उत्तरदायी निगमित संस्था के रूप में उभर सके।

- अपने सभी साझेदारों के हितों की कद्र करते हुए अपने कारोबार को आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षित व्यवसाय के रूप में संचालित करने हेतु संस्थान में सभी स्तरों पर सवंर्धित प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना।

- जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को प्रतिबद्ध एवं सहभागी बनाना। ऐसे कार्यक्रम मानव संसाधन विभाग के द्वारा बाहरी/आंतरिक प्रशिक्षण मंडलियों के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। मानव संसाधन विभाग द्वारा संस्थान में सामाजिक एवं संवहनीय नीतियों के समावेशन के संबंध में अभिलेख, छायाचित्र आदि बरकरार रखी जाएंगी।

2-ifjHkk"kk ,o foopu

इस नीति में, जहां तक अर्थ अथवा उसके विषय असंगत न हों, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ अधोवर्णित ही होगाः–

2.1. ''मंडल/निदेशक मंडल'' का अर्थ है, संस्थान का निदेशक मंडल

2.2. ''अधिनियम'' का अर्थ है, कंपनी अधिनियम, 2013

2.3. ''परिशिष्ट(अपेंडिक्स)'' का अर्थ है, इस नीति के साथ संलग्न परिशिष्ट

2.4. ''निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति'' का अर्थ है, मंडल की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति।

2.5. ''संस्थान'' का अर्थ है, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

2.6. ''स्थानीय क्षेत्र'' का अर्थ है, संस्थान के निगमन कार्यालय/शाखा कार्यालय/कार्यरत इकाइयों से 50 किलोमीटर दायरे में आने वाले क्षेत्र

3- lLFkku dk dk;{k=

संस्थान का प्रमुख कार्यक्षेत्र है, लौह एवं इस्पात स्क्रैप तथा अन्य धातुओं की पुनर्प्राप्ती के लिए स्टील मिल स्लैग एवं अन्य परित्यक्त व अवशेषों के प्रक्रमण व्यवसाय का संचालन तथा लौह एवं इस्पात व अन्य धातुओं के निर्माण हेतु समस्त सेवाएं प्रदान करना।

चूंकि प्रक्रमण से प्राप्त लौह, इस्पात संयंत्रों को लौटाए जाते हैं, संस्थान के आंतरिक संचलन एवं प्रक्रियाओं में पर्यावरण सुरक्षा की संवहनीयता सुनिश्चित होती है, जिसका अर्थ यह है कि अप्रयोज्य सामग्रियों के पुनश्चक्रण/पुनरुपयोग के माध्यम से कंपनी पर्यावरण संरक्षण कर रही है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है।

4- ;k t uk

4.1. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता परियोजना/क्रियाकलापों का अभिज्ञान

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि–7 के अनुरूप होंगी। अनुसूचि–7 के अनुरूप व्यवस्थित संस्थान की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियां, परिशिष्ट–ए पर संलग्न हैं।

तथा सरकार द्वारा निर्वहित किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से आदेशित क्रियाकलाप, एवं/अथवा जिनके लिए केन्द्र/राज्य सरकारों की योजनाएं स्वीकृत हैं, ऐसे कार्यों को समाविश्ट नही करना है, चूंकि ये अनावश्यक रूप से कार्यों की पुनरावृति होगी।

इसका केवल एक ही अपवाद है, प्राकृतिक आपदाओं/विपत्तियों के निवारणार्थ अनुदान देना।

5- l l k/ku

5-1- fuf/k dk vkcVu

अ) दिनांक 01.04.2014 के प्रभाव से, कंपनी द्वारा विगत तीन वित्त वर्षों में अर्जित कुल लाभ का न्यूनतम 2.0 प्रतिशत राशि प्रत्येक वित्त वर्ष में खर्च किया जाएगा।

लगातार तीन वित्तीय वर्षों के दौरान यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा(1) में वर्णित मानदंडों को कंपनी द्वारा पूरा नही किया जाता है, तो यह प्रावधान प्रयोज्य नही होगा।

ब) किसी एक वर्ष में अप्रयुक्त/अनुपयोगित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि की राशि को अगले वर्ष में ले जाया जाएगा, अर्थात्, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व बजट कालातीत नही होगी। हालांकि, उपयोगित नही किए जाने का कारण प्रकट करना होगा, तथा किसी एक वर्ष के अनुपयोगित बजट की राशि को अनुवर्ती दो वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च किए जाने हेतु समुचित प्रयास किए जाएंगे।

स) यदि कंपनी, अनुपयोगित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि को अनुवर्ती दो वित्तीय वर्षों के भीतर खर्च नही कर पाती है, तो ऐसी शेष राशि को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कोष में जमा कर दिया जाएगा, जिसका उपयोग निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों हेतु किया जाएगा।

द) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व बजट की न्यूनतम 75 प्रतिशत राशि परियोजना रीति की गतिविधियों के लिए चिन्हित की जाएगी।

इ) अन्य गतिविधियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तक की राशि आबंटित किए जाएं।

फ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (मंडल स्तर की समिति) द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियों पर खर्च हेतु राशि की संस्तुति निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

बजट प्रावधान का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा।

6- lLFkkuxr 0;oLFkk,a

मंडल स्तर के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता समिति के प्रधान एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति की संरचना, संस्थान के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित होगी, किन्तु न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक का इस समिति में सदस्य होना अनिवार्य है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियों का प्रतिपादन एवं नियंत्रण मंडल स्तर की समिति द्वारा किया जाएगा।

दैनंदिन कियान्वयन, मंडल स्तर से एक स्तर नीचे के एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में होगी, जो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

नोडल अधिकारी एवं मानव संसाधन विभाग प्रमुख परस्पर सहयोग से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियों का कियान्वयन करेंगे।

मंडल स्तर की समिति एवं नोडल अधिकारी तथा मानव संसाधन विभाग प्रमुख द्वारा संयुक्त रूप से द्विबंधित संस्थात्मक संरचना निर्मित करते हुए कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियों का दिशानिर्देशन किया जाएगा।

7-fd ;kUo;u

7.1. एफएसएनएल के निगमित कार्यालय/विभिन्न इकाइयों द्वारा यथा संभव, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि–7 के अनुरूप निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियों का निर्वहन किया जाएगा। अनुसूचि–7 के अनुसार व्यवस्थित कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियां, परिशिष्ट–ए पर संलग्न है।

7.2. एक निश्चित परियोजना/गतिविधि की संपन्नता हेतु समयावधि, उसकी प्रकृति, दायरा एवं परियोजना/गतिविधि के अभीष्ट प्रभाव पर निर्भर होगी।

7.3. ऐसी परियोजनाएं/गतिविधियां जिनमें यथेष्ट वित्तीय प्रतिबद्धता जुडी हों, और जो 2 से 5 वर्षों की अवधि हेतु लिए गए हों, ''सर्वोत्कृष्ट परियोजना/गतिविध'' मानी जाएंगी जिन्हें परिष्कृत महत्व दिया जाएगा।

7.4. वस्तुतः यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतम 90 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजना/गतिविधियां स्थानीय क्षेत्रों, अर्थात्, संस्थान के निगमन कार्यालय/शाखा कार्यालय/संचालित इकाइयों के 50 किलोमीटर दायरे में आने वाले क्षेत्रों में ही संपन्न किए जाएं।

7.5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत चिन्हित परियोजना गतिविधियों का क्रियान्वयन एफएसएनएल द्वारा स्वतः, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति/उप–समिति की सहायता से करना है।

7.6. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के सुलभ क्रियान्वयन हेतु इसे परियोजना रीति में नापने योग्य लक्ष्यों के साथ निर्वहित करना है, जिसमें इसकी कार्य योजना 'अल्पावधिक', 'मध्यावधिक' एवं 'दीर्घकालिक' जैसे तीन भागों में निम्नप्रकार से विलक्षित होंगी,

अल्पावधिक	:	6 माह से 1 वर्ष
मध्यावधिक	:	1 वर्ष से 2 वर्ष
दीर्घकालिक	:	2 वर्ष एवं अधिक

यदि परियोजना रीति संभव नही है, इसका कारण उल्लेखित किया जाना है।

परोपकारी/धर्मार्थ संगठनों या अन्य संगठनों को केवल अनुदान प्रदान करना निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में नही आएगा।

मध्यावधिक एवं अल्पावधिक श्रेणी में विभक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए बजट प्रावधान किया जाएगा तथा परियोजना के संपूर्ण समापन तक प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष हेतु प्राप्य लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

7.7. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां सामुदायिक ख्यातिवर्धक, दृष्टिगोचर एवं सामाजिक रूप से प्रभावकारी होनी चाहिए।

7.8. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाओं के लिए सर्वप्रथम कालावधि एवं सामयिक संपन्नता चरणों को निश्चित किया जाना चाहिए।

7.9. निगमन कार्यालय में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां मानव संसाधन विभाग की निगरानी में संपन्न होंगी।

7.10. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:—

7.11. दीर्धकालिक कार्यक्रम चिन्हित करते समय, यथासंभव निम्नलिखित को परिलक्षित किया जाना चाहिए:—

(अ) कार्यक्रम का उद्धेश्य

(ब) बेसलाईन सर्वे — कार्यक्रम संपन्नता परिमाणित करने हेतु यह एक आधार प्रदान करती है।

(स) क्रियान्वयन समयसारिणी — कार्यक्रम की सामयिक चरणबद्ध संपन्नता निर्धारित करनी होगी।

(द) जवाबदेही एवं प्राधिकारी

(इ) अपेक्षित प्रमुख परिणाम एवं परिमाणयोग्य नतीजा

7-12-fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ,oa laoguh;rk ifj;kstukvksa@xfrfof/k;ksa dk p;u ,oa vko';drk dk vkadyu

7.12.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता परियोजनाओं/गतिविधियों का चयन स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होंगी, जो आवश्यकता अभिज्ञान अध्ययन अथवा जिला प्रशासन/स्थानीय शासन/निकाय/नागरिक संकाय/गैर—सरकारी संस्थान/न्यास/संस्था/हितग्राही आदि से वार्तालाप के जरिए निर्धारित की जाएंगी, एवं प्राप्त अनुरोध/आवेदनों की जांच एवं अनुवीक्षण निगमन स्तर की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा की जाएगी।

आवश्यकता का आंकलन/बेसलाईन सर्वे आंतरिक दक्षत/साधनों से की जाएगी।

वस्तुतः, किसी विशेष निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता परियोजना/गतिविधियों के लिए आंतरिक क्षमता की अनुपलब्धता पर, बेसलाईन सर्वे/आवश्यकता का आंकलन विशिष्ट एजेंसी द्वारा संपन्न की जाएगी।

किसी भी अवस्था में, कंपनी द्वारा, आंतरिक दक्षता एवं संसाधनों से अथवा विशिष्ट एजेंसी के माध्यम से आवश्यकता आंकलन अध्ययन कराने अथवा मान्य प्रामाणिक द्वितीयक संसाधनों के माध्यम से इस संबंध में विश्वसनीय आंकडों की अभिगम्यता संबंधी दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेखित किया जाएगा।

7.13 *fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ,o lloguh;rk ifj;kstukvk@xfrfof/k;k dk vuqeknu*

समस्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता परियोजनाओं/गतिविधियों का अनुमोदन मंडल स्तर की समिति, अर्थात्, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता समिति द्वारा की जाएगी, जिसकी अभिपुष्टि निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी।

7.14.1. क्रियान्वयन एजेन्सी

कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व उद्धेश्यों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु एफएसएनएल द्वारा उपयुक्त परियोजना/गतिविधि का अभिज्ञान कर उस समुदाय को लाभ उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए ये नियत किए गए हैं, एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति/उप–समितियों की सहायता से कंपनी स्वयं इन गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगी। यदि आवश्यकता हो तो एफएसएनएल द्वारा, न्यूनतम तीन वित्त वर्षों में प्रतिष्ठित निष्पादन रिकार्ड वाले संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है, किन्तु इस पर आने वाला खर्च एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के समस्त निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन पर हुए खर्च के पांच प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए।

7.14.2. *,Q,l,u,y ,o fd;kWo;u ,tlh d e/; le>krk*

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत इकाइयों को अनुमोदित कार्यक्रमों की सूचना दे दिए जाने के उपरांत इकाइयों को *vkn'k :ikRed vuc/k* के अनुरूप प्रत्येक क्रियान्वयन एजेंसी के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित करना होगा।

7.15.1 *ifronu*

नियत स्थान पर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता परियोजना/गतिविधि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एक नियंत्रण तंत्र अपनाई जाएगी तथा इकाई प्रमुख द्वारा निगमन कार्यालय के मानव संसाधन विभाग प्रमुख को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता परियोजना/गतिविधि की प्रगति की सूचना प्रदान की जाएगी। क्रियान्वित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता कार्यक्रम

की प्रगति संबंधी मासिक प्रतिवेदन इकाई प्रमुख द्वारा निगमन कार्यालय के मानव संसाधन विभाग प्रमुख को प्रेषित की जाएगी, जो मंडल स्तरीय निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता समिति को गतिविधियों एवं वार्षिक बजट के उपयोग संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे। मंडल स्तरीय समिति द्वारा निदेशक मंडल की सूचना, विचार एवं आवश्यक निर्देशों के लिए समय–समय पर अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा।

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि त्रैमासिक होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंग के रूप में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित परिशिष्ट–बी के अनुरूप मंडल के प्रतिवेदन में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियों पर एक वार्षिक प्रतिवेदन भी शामिल किया जाएगा।

7.15.2 *cBd dh le;koof/k*

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों एवं नीति पर चर्चा एवं पुनर्विलोकन हेतु समिति की वर्ष में न्यूनतम दो बैठकें होंगी।

कार्यवाही हेतु दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। समिति की अन्य बैठकें यथोचित रूप से आयोजित की जा सकती हैं। बैठक में आवश्यकतानुसार कर्मचारियो, वरिष्ठ अधिकारियों एवं/अथवा बाह्य व्यक्तियों को बुलाने हेतु समिति प्राधिकृत है।

7.15.3. *izHkko dk vkdyu ,oa ifrif"V*

निगमन मानव संसाधन विभाग द्वारा अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से, समय–समय पर, कार्यों का, विशेषकर सामरिक एवं उच्च लागत के कार्यों का, इस कार्य के लिए गठित समिति के माध्यम से प्रभाव अध्ययन कराया जाएगा।

7.15.4 इकाइयों/क्रिया केन्द्रों द्वारा भी कार्यक्रमों के बारे में लाभान्वित वर्ग से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा की जाएगी, एवं निगमन कार्यालय के मानव संसाधन विभाग प्रमुख को प्रतिवेदन प्रेषित की जाएगी।

7.16 *le>krk Kkiu eY;kdu@diuh dk fu"ikn*

मंत्रालय द्वारा कंपनी के वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किए जाने के उपरांत, कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन मुल्यांकन हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता के संबध में प्रत्येक निष्पादन सूचकांक के बारे में स्व–निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाएगी, यदि शामिल किए गए हों।

7.17. *iy[khdj.k*

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता पर कंपनी की नीति एवं उसके निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता गतिविधियों पर एक प्रतिवेदन कंपनी के वेबसाईट पर, संलग्न परिशिष्ट–बी प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगी।

7.18. *fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ,o loguh;rk ifj;ktukvk@xfrfof/k;k d fd;kUo;u grq lnfHkr uhfrxr nLrkot*

अ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता पर कंपनी की नीति

ब) भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अपने पत्र एफ क्रं.15(7)/2012–डीपीई(जीएम)जीएल–104 दिनांक 12.04.2013 के माध्यम से केन्द्रीय लोक उद्यम संस्थानों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में जारी संशोधित दिशा–निर्देश(अप्रैल 2013)।

स) भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों पर जारी किए गए अनुवर्ती संशोधन/पुनरीक्षण/परिशिष्ट।

द) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर भारत सरकार द्वारा जारी कोई अनुवर्ती दिशानिर्देश/परिपत्र/आदेश।

7.19 *lHkk0;rk*

कुछ ऐसी परियोजनाएं/गतिविधियां जो मंडल स्तर की समिति द्वारा अनुमोदित नही हैं, किन्तु प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इनका क्रियान्वयन अत्यावश्यक हो, ऐसे कार्यों को प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष के अनुमोदन से क्रियान्वित किए जा सकते हैं। मंडल स्तरीय समिति एवं निदेशक मंडल को ऐसी परियोजना/गतिविधियों की सूचना उनकी अगली त्रैमासिक बैठक में प्रदान की जाएगी।

7.20 *lkekU;*

(अ) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता नीति की अनुशंसा, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति(मंडल स्तरीय समिति) द्वारा निदेशक मंडल को उनके अनुमोदनार्थ दी जाएगी।

(ब) मंडल स्तरीय समिति के अनुमोदन एवं निदेशक मंडल की संपुष्टि के उपरांत, उपरोक्त किसी भी नियम/विनिर्देशों के रूपांतरण, निरस्तीकरण, अनुवृद्धि, अथवा संशोधन करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है।

(स) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता नीति का कोई अथव सभी प्रावधान, समय–समय पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप पुनर्विलोकनीय एवं संशोधनीय होंगे।

(द) नीति के किसी प्रावधान एवं ऐसे विषय जो यहां उल्लेखित नही हैं, पर किसी भी प्रकार की शंका पर निगमन प्रबंधन का स्पष्टीकरण एवं निर्णय अंतिम होगा।

,,,,,,,,,,,,

<u>ifjf'k"V & ,</u>

daiuh vf/kfu;e] 2013 dh vuqlwph&7 ds rgr
fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ,oa lagquh;rk ifj;kstuk@xfrfof/k;ka

1- Hkq[kejh] xjhch ,oa dqiks"k.k dk mUewyu] LokLF; lsok ,oa fuokjd LokLF; lsok rFkk LoPNrk ,oa LoPNrk iksRlkgu gsrq dsUnz ljdkj }kjk LFkkfir LoPN Hkkjr dks"k esa vuqnku] ,oa LoPN ih;ty miyC/k djkukA

2- f'k{kk vfHko`f)] fo'ks"k f'k{kk ,oa jkstxkj] cPpksa] efgykvksa] cqtqxksZa ,oa fu'kDrtuksa ds 0;kolkf;d fuiq.krk esa vfHko`f)] rFkk vkthfodk vfHko`f) ifj;kstuk,aA

3- fyaxHksn lekiu] efgyk l'kfDrdj.k] efgykvksa ,oa vukFkksa ds fy, edku ,oa Nk=kokl eqgS;k djkuk] ofj"B ukxfjdksa ds fy, o`)kJe] ns[kHkky dsUnz ,oa vU; ,slh lqfo/kk,a iznku djuk] rFkk lkekftd ,oa vkfFkZd :Ik ls fiNM+s oxksZ ds lkFk HksnHkko feVkus gsrq vko';d dne mBkukA

4- Ik;kZoj.kh; lagquh;rk] ikfjfLFkfrdh; larqyu] iM+&ikS/kksa ,oa tho tUrqvksa dk laj{k.k] tkuojksa dk laj{k.k] d`f"k ,oa okfudh] izkd`frd lalk/kuksa dk laj{k.k rFkk feVVh] ok;q ,oa ty dh xq.koRrk dk;e j[kuk] vkSj dsUnz ljdkj }kjk xaxk unh dh lQkbZ gsrq LFkkfir LoPN xaxk fuf/k esa vuqnkuA

5- jk"Vh; /kjksgjksa] dyk o laLd`fr dh j{kk] ,sfrgkfld egRo okys Hkouksa] {ks=ksa ,oa dykd`fr;ksa iqu#)kj.k] tu okpuky;ksa dh LFkkiuk] ikjEifjd dykvksa ,oa gLrdykvksa dk iksRlkgu o fodklA

6- xzkeh.k [ksyksa] jk"Vh; Lrj ds ekU; [ksydwn] iSjkfyfEid [ksy ,oa vksyfEid [ksyksa ds iksRlkgu gsrq izf'k{k.kA

7- iz/kku ea=h ds jk"Vh; jkgr dks"k vFkok dsUnz ljdkj }kjk lkekftd o vkfFkZd mRFkku gsrq LFkkfir dks"k esa vuqnku] rFkk vuqlwfpr tkfr] vuqlwfpr tutkfr] vU; fiNM+s oxZ] vYila[;d ,oa efgykvksa dk jkgr ,oa dY;k.kA

8- dsUnz ljdkj }kjk vuqeksfnr f'k{k.k laLFkkuksa esa fLFkr rduhdh iorZdksa ds fy, vuqnku o fuf/kA

9- xzkeh.k fodkl ifj;kstuk,aA

10-cfLr;ksa dk fodklA

ifjf'k"V & c

eMy ifronu e lekos'ku grq fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro xfrfof/k;k ij okf"kd ifronu dk ik:Ik

1- diuh dh fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro uhfr dk lf{kIr fooj.k ,o iLrkfor ifj;kstukvk vFkok dk;dek dk l{ki] rFkk fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro uhfr ,o ifj;kstukvk ;k dk;dek d oc&fyd dk lnHkA

2- fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro lfefr dh ljpuk

3- foxr rhu foRr o"kk e diuh dk vkSlru dy ykHk

4- fofgr fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro 0;; ¼mijkDr en 3 d vuqlkj 2 ifr'kr dh jkf'k½

5- foRrh; o"k d nkjku fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro ij 0;f;r jkf'k

v½ foRrh; o"k e [kp fd, tku grq dy jkf'k
c½ v0;f;r jkf'k] ;fn gks rks]
l½ foRrh; o"k d nkjku fd, x, [kp dk i dkj vfkof/k.kr g%&

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½
de	fu-lk-m- ifj;kstuk vFkok vfHkKkr xfrfof/k	{k= ftl d rgr ifj;kstuk lekfo"V g	ifj;kstuk vFkok dk;de% 1-LFkkuh; {k= vFkok vU; 2- og jkT; ,o ftyk n'kk, tgk ifj;kstuk vFkok dk;de liUu gqvkA	ifj;kstuk vFkok dk;deokj jkf'k ifj0;; ¼ctV½	ifj;kstuk vFkok dk;de ij [kp dh xbZ jkf'k mi&'kh"k% 1-ifj;kstuk ;k dk;de ij iR;{k [kp 2-vf/kHkkj	ifronu vof/k rd lp;h [kp	[kp dh xbZ jkf'k% iR;{k vFkok dk;kUo;u ,tlh d ek/;e l $
1-							
2-							
3-							
	dy						

$ dk;kUo;u ,tlh dk fooj.k n

6- ;fn diuh foxr rhu foRrh; o"kk vFkok mld Hkkx d vklru dy ykHk dk nk ifr'kr jkf'k [kp ugh dj ikbl g] rk diuh }kjk viu eMy ifronu e bl jkf'k dk [kp ugh dj iku dh otg mYyf[kr djuk gA

7- fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro lfefr dk tokcngh oDr0; fd fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro uhfr dk fd;kUo;u ,o fu;=.k diuh dh uhfr ,o fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro m)'; d vuqlj.k e fd;k x;k gA

lgh@& ¼e[; dk;ikyd vf/kdkjh vFkok icU/k fun'kd vFkok fun'kd½	lgh@& ¼v/;{k & fuxfer lkekftd mRrjnkf;Ro lfefr½	lgh@& ¼vf/kfu;e dh /kkjk 380] mi/kkjk ¼1½ vuPNn ¼Mh½ e mYyf[kr 0;fDr½ ¼tgk i;kT; gk½